(भारत के राजपत्र के भाग 1, खंड 1 में प्रकाशनार्थ)

एफ.सं. 1-15/2010-स्कूल-I
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई, 2013

संकल्प

विषय: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के कतिपय मानदंडों का संशोधन और आरएमएसए के तहत् माध्यमिक शिक्षा की अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का सम्मिलन।

भारत सरकार ने विधिवत् विचार-विमर्श के पश्चात् (2009-10 से कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत् 1.4.2013 से आरएमएसए के निम्नलिखित संशोधित मानदंड अनुमोदित किए है:-

(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आरएमएसए के तहत् अनुज्ञेय सिविल कार्यों के निर्माण हेतु राज्य दर अनुसूची अथवा के.लो.नि.वि. की दर (जो भी कम हो) का प्रयोग करने की अनुमति देना।

(ii) कार्यक्रम के तहत् प्रबंधन, निगरानी, मूल्यांकन और अनुसंधान (एमएमईआर) को कुल परिव्यय के 2.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करना जिसमें 4 प्रतिशत सार्वजनिक में से 0.5 प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर हेतु और शेष 3.5 प्रतिशत राज्य आवंटन के अंश के रूप में होगा। उन राज्यों के मामले में जहां 3.5 प्रतिशत एमएमईआर का बढ़ा हुआ आवंटन भी पर्याप्त नहीं है और इस शीर्ष के तहत् कार्यकलापों में बाधा बन सकता है, समग्र राज्य एमएमईआर संघटक के 3.5 प्रतिशत के भीतर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य भिन्नताएं किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परिव्यय के अधिकतम 5 प्रतिशत के अध्यधीन परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जा सकता हैं।

(iii) माध्यमिक शिक्षा की अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं – स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, महिला छात्रावास, माध्यमिक स्तर पर नि:शक्तों हेतु

समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, को उनके मौजूदा स्वरूप में आरएमएसए की छत्रछाया में लेना।

(iv) सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए आरएमएसए अम्ब्रेला योजना संघटकों के अनुसार गुणवत्ता हस्तक्षेपों के लिए आरएमएसए के लाभ (अवसंरचना सहयोग/मूल क्षेत्र अर्थात् अध्यापक वेतन तथा स्टॉफ वेतन को छोड़कर) सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों तक बढ़ाना।

(v) भारत सरकार ने 12वीं योजना की शेष अवधि के लिए निधि हिस्सेदारी की मौजूदा पद्धति गैर-पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 75:25 और पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) के लिए 90:10 जारी रखने का अनुमोदन किया है।

(vi) माध्यमिक शिक्षा की चारों सम्मिलित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को शामिल करते हुए आरएमएसए की अम्ब्रेला स्कीम की एकीकृत योजना के अनुमोदन पर विचार करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आरएमएसए परियोजना अनुमोदन बोर्ड को प्राधिकृत करना।

(vii) आरएमएसए अम्ब्रेला स्कीम के सभी संघटकों हेतु निधियां जारी करने के लिए आरएमएसए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी को सीधे तौर पर प्राधिकृत करना।

(राधा चौहान)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के राष्ट्रीय मिशन के सभी सदस्यों, आरएमएसए और सम्मिलित योजनाओं के परियोजना अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को प्रेषित की जाए।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाए।

(राधा चौहान)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद